आवश्यक/फैक्स 89

यातायात पुलिस निदेशालय, उ0प्र0, सी-231, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ
पत्र संख्या:डीटी-621-2007/355 दिनांक: लखनऊ जनवरी 31 ,2014

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश

विषय– माल वाहनों की ओवर लोडिंग के विरूद्व "प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट, 1984 में कराई गयी एफ0आई0आर0 की सम्यक समुचित विवेचना/कार्यवाही के संबंध में ।

कृपया परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः 48(जी) इन्फ/2013–11इन्फ/13 दिनांक 12–09–2013 एवं पत्र संख्याः 1387इन्फ/2013–टीकवर इन्फ/13 दिनांक 17–10–2013 द्वारा अवगत कराया है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 3/4, धारा 207(1) के अन्तर्गत न केवल परिवहन विभाग के अधिकारियों को बल्कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस न होने, वाहन का पंजीयन न होने, बिना परमिट होने तथा परमिट शर्तो के विरूद्व संचालन किये जाने की स्थिति में वाहन को निरूद्व किये जाने का अधिकार है। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे वाहनों के विरूद्व उक्त अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत तथा अधिनियम में सुसंगत धाराओं के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है, परन्तु विभाग में अधिकारियों, कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या नहीं है जिससे कि ऐसे वाहनों पर समुचित नियंत्रण लगाया जा सके। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) स्तर की तैनाती केवल मण्डलीय कार्यालयों में ही एक से अधिक होती है अन्यथा सभी जिलों में एक ही सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) होता है।

2– यात्री वाहनों के अतिरिक्त भार वाहनों में ओवरलोड की समस्या काफी गम्भीर है और यह समस्या मुख्य रूप से खनिज पदार्थो जैसे गिट्टी, मौरंग व बालू आदि की ढुलाई से संबंधित है। इस कारोबार में भी अवांछनीय तत्वों के शामिल होने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। परिवहन विभाग द्वारा इनके विरूद्व भी प्रभावी कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से **'मोटर वाहन अधिनियम, 1988' के अन्तर्गत कार्यवाही के अतिरिक्त 'प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट, 1984' के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की भी कार्यवाही की जा रही है, साथ ही साथ 'कैरिज बाई रोड एक्ट 2007' के अन्तर्गत 'कामन कैरियर' (लोडिंग कराने वाली एजेन्सी/संस्था आदि) के विरूद्व भी कार्यवाही की जा रही है, परन्तु उक्त समस्या की गम्भीरता और विभाग में प्रवर्तन अधिकारियों की कमी के दृष्टिगत ऐसे वाहनों के नियंत्रण में भी पुलिस विभाग का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है।**

3– अतएव उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा विधिक प्राविधानों के दृष्टिगत अनधिकृत यात्री वाहनों के संचालन पर अंकुश लगाने एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा भार वाहनों के ओवर लोड को नियंत्रित करने हेतु परिवहन विभाग के अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

31/1/14

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित है।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित है :–

1– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

-2014